

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: कार्यालय—आदेश :

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियम—1996 के अंतर्गत आधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के पत्रांक—पा.12(1)शिक्षा—2/अनु.नियु.प्रयो.सहा./2016 दिनांक 27.03.2017 एवं 03.10.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड—गा के कुल 03 अभ्यर्थियों का पाठ्यिक शिक्षा विभाग के परीक्षणोपरान्त एवं अनुशंषा उपरान्त अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमतिलेन किया जाकर उनके नाम के समुख अंकित जिले में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे:-

१. मृतक आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड—गा के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की जन्मतिथि, शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिप्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
२. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो कि पूर्णतः या भागतः केन्द्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित के नियुक्ति के समय पर) नियमित आधार पर महले से ही नियोजित नहीं हो एवं न ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है। इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम—6 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें (मृतक की पत्नी ख्याल के लिए नियोजित प्राप्त करने पर वह नियम लागू नहीं होगा)।
३. अतिक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो, उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है, इस आवेदक का शपथ पत्र प्राप्त करें।
४. आवेदक पति/पत्नी द्वान पर कार्यग्रहण स्थित तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ पत्र(प्रारूप संलग्न) का शपथ पत्र प्राप्त करें।
५. आवेदनकर्ता यदि शिवाहित है तो आवेदक एवं पति/पत्नी (दोनों से) से बिन्दू संख्या—2 के अनुसार नियोजित नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त करें।
६. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
७. दत्तक पुत्र—पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
८. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ—ग(1) कार्मिक (क—2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे(प्रारूप संलग्न)।
९. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम—2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रोवेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये 18500/-प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
१०. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनिंज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भल्ते यथा महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
११. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आक्रिमिक अवकाश वित्त भाग के आदेश क्रमांक—एफ—12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसार देय होगा।
१२. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक—प.2(2)वित्त(नियम)2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।

लगातार02

लगातार.....

- 45 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-गा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए।
- 46 संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि में सहवन से कोई त्रुटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरुस्त करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मृतक कर्मचारी के राजकीय दस्तावेज में नाम/उपनाम में परिवर्तन होने पर आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें।
- 47 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
- 48 आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व-घोषणा पत्र।
- 49 आवेदक द्वारा धुम्रपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व-घोषणा पत्र अन्य घोषणाओं के साथ।
- 50 आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
- 51 राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-गा/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए सशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
- 52 कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट, जयपुर दिनांक 31.05.16 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित हैं, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकूल्यात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
- 53 आवेदक की सेवा-पुरितका में लाल स्पैष्ट से योग्यता अकित किया जावें कि श्री/सुश्री/श्रीमती..... ने इनके माता/पिता/पति को मृत्यु पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों के भर्ता नियम-1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।
- यूके राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-गा पर सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक है, अतः संलग्न सूची को अनुसार पदरथापन 15 दिवस के भीतर जारी कर प्रति निदेशालय को एवं संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड ब्रूक्स भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : जिला आवण्टन सूची (03 अभ्यर्थी)

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 30/06/2022

मान्यता शिविर-मा/संस्था/एफ-गा/फा-2/12247/अनुनियु./प्र.शा.स-ग्रेड-गा/2022/ प्रक्रियाएँ नियमानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 3 निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को देकर अनुरोध है कि संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रकरण नाम के समक्ष अकित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा..... को उपलब्ध करावें।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा..... को संलग्न सूची में लिखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा से प्राप्त कर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-गा के पद पर सीधी भर्ती वर्ष 2021-22 हेतु प्रेषित अर्थना में जिलेवार विज्ञापित पदों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें एवं पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवायें।
- 5 सहायक निदेशक, शाला दर्पण एवं मोनिटरिंग अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 6 अकित पत्रावली।
- 7 संलग्न- मूल आवेदन-पत्र



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राज्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

ग्राम पंचायतीय विरो-मा / संस्था / एफ-१ / फा-२ / 12247 / अनु.नियु. / प्र.शा.स-ग्रेड-गा / 2022

दिनांक:- 30/06/2022

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-गा के पद पर नियुक्ति हेतु
अनुमोदित अभ्यर्थियों के जिला आवण्टन की सूची

क्रम संख्या	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता (BSER AND CBSE) एवं जन्मतिथि	मृतक का नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान	निधन की तिथि	आवेदक का मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	आवण्टित जिले का नाम
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री लाकेन्द्र पाल सिंह 12वीं विज्ञान DOB 25-07-2001	स्व. श्री महावीर सिंह खीची अध्यापक रा.उ.प्रा. विद्यालय, खोखरी, इन्द्रोका, मण्डोर, जोधपुर	13-07-2016	पुत्र	14.10.2020 Lab Assistant	जोधपुर
02	श्री पृथ्वीपाल सिंह 12वीं विज्ञान वी.एस.सी. DOB 12.05.1995	स्व. श्री दंडी सिंह भासी वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च प्रारम्भिक विद्यालय भीला वारपणी, जोधपुर	06.08.2021	पुत्र	04.10.2021 Lab Assistant	राजसमन्द
03	सुश्री उपासना 12वीं विज्ञान DOB 20.08.1998	स्व. श्री राजाराम वेरवा, अध्यापक राजकीय उच्च प्रारम्भिक विद्यालय मखौली सवाइमाधोपुर	09.01.2003	पुत्री	27.10.2020 Lab Assistant	बूदी

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर